न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00452 (321/2018) 223 आरटीएक्ट

1. फतेह मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद जाति नीलगर मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. मोहम्मद फारूक पुत्र मोहम्मद अली जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ —अपीलाण्ट

बनाम

1. औमप्रकाश
2. सुशील कुमार } पि0 रामदेव जाति माहेश्वरी सोनी निवासी नोहर तहसील नोहर
3. प्रमोद
4. महेन्द्र सिंह पुत्र गुलाब सिह जाति जटसिख निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चुरू
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ —रेस्पोडेंट

विरूद्ध निर्णय दनांक 29.06.2018 द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर प्र. सं. 506/2017 बअनवानी फतेह मोहम्मद बनाम ओमप्रकाश आदि

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 4 व 5

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक:– 17.07.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया। वादपत्र में रोही मौजा चक 1 एनएचआर –ए तहसील नोहर के खाता सं0 23/18 की कुल 6.6033 है0 भूमि जिसमें 129 हिस्सा भूमि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के नाम दर्ज है को कलमजन कर उसे आराजीराज घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसके आधार पर वाद वादी खारिज किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि विचारण न्यायायल ने अपीलाण्ट का जवाब लिए बिना जल्दबाजी में विधिक प्रावधानों को दरकिनार कर आदेश पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किया है। जवाब दावा आने के बाद विवादक कायम होना चाहिए था जिसके आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था। अपीलाण्ट ने अपने दावा की मद सं0 4 क ता ग प्रश्नगत बैनामे जिनसे भूमि हस्तान्तरित हुई है वह किस प्रकार से प्रभाव शुन्य है इसका विवरण निर्णय में अंकित नहीं किया है। प्रश्नगत दस्तावेज प्रारम्भ से ही शून्य है। इस प्रकार के दस्तावेज से किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति को कोई अधिकार अर्जित नहीं हो सकते एवं किसी प्रभाव शुन्य दस्तावेज को अगर 30 वर्ष की अवधि गुजर चुकी है तो 30 वर्ष बाद उसके स्वतः ही वैध होने की कोई विधिक अवधारणा नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 की व्याख्या सही रूप से नहीं की गई। बिना किसी सुनवाई एवं जवाब के ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। दफा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रश्न निर्धारण आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता निर्णय में निर्णित नही हो सकते हैं अर्थात प्राड्न्याय के सिद्धान्त को आदेश 7 नियम 11 के आवेदन पत्र का आधार नहीं बनाया जा सकता हैं। मूलतः वादी द्वारा पंजीबद्ध बैयनामे को निरस्त करने का अनुतोष चाहा है जो सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होना मानते हुए वाद खारिज किया है जबकि अपीलाण्ट द्वारा दावा में जो अनुतोष चाहा है वह बैयनामा को निरस्त करवाने का अनुतोष नहीं था बल्कि प्रभावशुन्य बैयनामा एवं दस्तावेज के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4/प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्रश्नगत भूमि में नही होने से प्रश्नगत दस्तावेज प्रभावहीन होने व शून्य होने से संबंधित कथन किये थे जो स्पष्टतया राजस्व न्यायालय को उक्त बिन्दू तय करने की पूर्ण अधिकारिता है एवं माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अपीलाण्ट का आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे व रेस्पोडेण्ट का आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। अपील अपीलाण्ट ज्ञान से अन्दर मियाद है। डिले कण्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2005 (1) पेज 233, आरआरडी 14.07.2008 पेज 423, आरआरटी पेज 18, 11/12.5.2018, आरआरटी 2018 (2) पेज 1329, आरआरटी 2018 (2) पेज 126, आरआरडी दिसम्बर 2002 पेज 702 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि में अपीलाण्ट का कोई हित निहित नहीं है इसलिए उसे दावा लाने का कोई अधिकार नही है यह वाद संधारण योग्य ही नही है। प्रश्नगत भूमि महेन्द्र कौर पत्नी बादलसिंह ने अपने हिस्से की भूमि जरिये मुख्त्यारनामा 1.7.1967 बादलसिंह के पक्ष में निष्पादित करवाई थी इसके आधार पर महेन्द्र सिंह ने यह भूमि रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 17.05.1968 से फरोख्त कर दी उसी समय खरीददार महेन्द्रसिंह ने कब्जा ले लिया था। महेन्द्रसिंह ने यह भूमि रेस्पोडेण्टान के पिता रामदेव को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा 11.11.1975 को बैय कर दी। उसी समय से रेस्पोडेण्टान कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में लोकहित में दावा प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है। अपीलाण्ट लालच के वशीभूत होकर बैयनामा को शून्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

घोषित करवाना चाहता है। बेयनामा एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें क्रेता एवं विक्रेता के सारे हक व अधिकार दूसरे पक्ष में समाहित हो जाते हैं वादीगण उक्त बैयनामा के आधार पर भूमि लोकहित में आराजीराज दर्ज करवाने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार 30 साल पुराने दस्तावेज की वैधता पर सन्देह व्यक्त नहीं किया जा सकता ऐसे दस्तावेज स्वतः साबित माने जाते हैं। बादलसिंह के पुत्रों ने यह माना है कि प्रश्नगत भूमि उनके माता पिता की बेय की हुई है तथा उनका कोई हक हिस्सा नहीं है व ना ही उनका कब्जा है। अपीलाण्ट फतेह मोहम्मद ने पहले भी महेन्द्र कौर व बादल के वारिसान को बहला फुसला कर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष भी नामान्तरण निरस्त करवाने हेतु अपील संख्या 3/15 दिनांक 03.11.2015 प्रस्तुत की थी जो 08.12.2015 को विड्रा कर ली गई। उसके बाद अपर जिला कलक्टर नोहर के समक्ष बादल के वारिसान के मार्फत फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर अपील प्रस्तुत की थी जो भी खारिज हो चुकी है। विचारण न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 (ए) (डी) जाब्ता दीवानी संपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर दावा खारिज किया है जो विधि सम्मत है। रेस्पोडेण्ट का आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पर्थना–पत्र स्वीकार किया जावे व अपीलाण्ट का आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे एवं अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों एवं बहस मे आये तथ्यों के आधार पर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी दिनांक 10.04.2019 के साथ प्रस्तुत दस्तावेज नोटेरी से प्रमाणित होने के कारण एवं अपील के निस्तारण में सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कियां जाता है एवं दस्तावेज अभिलेख पर लिया जाता है।
8. रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी दिनांक 04.06.2019 के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित होने के कारण एवं अपील के निस्तारण में सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कियाजाता है एवं दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाते हैं।
9. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। वादी ने वाद में विवादग्रस्त भूमि के प्रतिवादी के नाम अंकन को चुनौती दी कि जिस बयनामा के आधार पर अंकन कराया है वांक नल एण्ड वोईड है। रेस्पोडेण्ट ने प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया जिसका अपीलाण्ट/वादी द्वारा कोई जवाब नही दिया गया और प्रार्थना–पत्र के आधार पर दावा खारिज किया गया है। अपीलाण्ट वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत खातेदार काश्तकार से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत नहीं किया है केवल बयनामों को कूटरचित

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एवं गलत बताया है। प्रश्नगत बैयनामा/मुखत्यारनाम दिनांक 01.07.67, 17.04.68, 21.11.75 जो लगभग 45 वर्ष से अधिक पुराने हैं को निरस्त/प्रभावशुन्य करने का अनुतोष चाहा है। प्रश्नगत भूमि के संबंध में पूर्व में भी एक वाद प्रस्तुत हुआ है जो विड्रा होने के कारण खारिज किया गया है पुनः उसी भूमि के संबंध में वाद प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत बेयनामा रजिस्टर्ड दस्तावेज है। किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं हैं। पंजीबद्ध दस्तावेज को केवल सिविल न्यायालय ही निरस्त कर सकता है। पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त करवाये बिना वादीगण किसी भी प्रकार अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। अपीलाण्ट ने धारा 88 एवं 188 के तहत वाद पेश किया है धारा 88 आरटीएक्ट के तहत केवल खातेदार, सहखातेदार अथवा उपखातेदार ही घोषणा का वाद ला सकते है। अपीलाण्ट न तो खातेदार है न ही खातेदारी का अनुतोष उसके द्वारा चाहा गया है। अतः उसे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। वादपत्र में जो तथ्य अंकित किये हैं उसके अनुसार बैयनामों को शून्य घोषित करवाना चाहता है। वाद पत्र में जो तथ्य अंकित किये है। उनमें बेयनामा को निरस्त कराने संबंधी अनुतोष चाहा जाना स्पष्ट होता है। वादपत्र में स्पष्ट रूप से कॉज ऑफ एक्शन एराईज नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत वाद को खारिज किया है उसमें किसी प्रकार की त्रूटि नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.06.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

17/7/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official